प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक-30.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास एवं 12 ,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास एवं 12,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.04.2001 को वादी श्रीराम गुप्ता मुख्य लिपिक भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर इटावा ने थाना सिविल लाइन पर अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी करके फर्जी आदेश बनाकर अनुचित लाभ उठाने के संबंध मे तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0-113/2001 धारा 420/467/468/471 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम पैरोकार का0 अमित एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एसपीओ श्री उदयश्याम तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 30.11.2024 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट इटावा द्वारा 07 वर्ष का कारावास एवं 12,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **उमेश कुमार पुत्र मातादीन प्रजापति निवासी मेडिकल कॉलेज थाना पिछोर जनपद झांसी।**